न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र (सरफैसी) संख्या 03 सन् 2022 निर्णय दिनांक 14.02.2022

ए.यू. स्मॉल फायनेन्स बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 19ए– धुलेव गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
– **प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स सोनू कूल वाटर सप्लायर्स जरिये प्रोपराईटर शशिलता, पता– 45, नवल विहार सिरसी रोड़, पॉंच्यावाला, जयपुर।
2. शशिलता पुत्री रोहिताश, पता– 276, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, खासोली, तहसील व जिला चूरू।
3. रणजीत पुत्र ख्यालीराम, पता– ग्राम खासोली, तहसील व जिला चूरू।
4. ख्यालीराम पुत्र रूघाराम, पता– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, खासोली, तहसील व जिला चूरू।
5. सांवरलाल पुत्र चौथुराम, पता– ग्राम खासोली, तहसील व जिला चूरू।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :– प्रार्थी अधिवक्ता श्री पंकज सिंह

–:: निर्णय ::–

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 के द्वारा दिनांक 20.02.2020 को 2,45,000/– रूपये (अखरे दो लाख पैंतालीस हजार रूपये) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थीगण ने बुक नं. 29 पट्टा नं. 67, संकल्प संख्या–02, ग्राम खासोली, ग्राम पंचायत खासोली, जिला चूरू स्थित अचल सम्पत्ति जो कि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से है, का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा–पासा इस प्रकार है – पूर्व – श्रवण कुमार मेघवाल का घर, पश्चिम में – सागरमल मेघवाल का घर, उत्तर में रास्ता, व दक्षिण में – गिरधारी तेतरवाल का घर। सम्पत्ति का माप 1800 वर्गफीट है।
2. ऋणी अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण को प्रार्थी बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 15.01.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 13.07.2021 को अप्रार्थीगण को सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी / जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।
3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत किया गया ।
4. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
चूरू

5. अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्त्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Re-construction of Financial assets and enforcement of Security interest Act 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरू को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध अपील हेतु अप्रार्थी को 30 दिवस का समय दिया जाता है। अतः आदेश निर्णय दिनांक से 30 दिवस पश्चात प्रभावी होगा।

8. निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
चूरू